न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(भरतपुर)
प्रशासन गॉव के संग अभियान–2021 कैम्प बरौलीचौथ

मि.न. 166/2019, व इजलासः– हेमन्त कुमार (R.A.S)

उनवान

1. साहव सिंह पुत्र सालसिंह
2. मान सिंह पुत्र इन्द्र सिंह
3. किशन सिंह पुत्र बदन सिंह
4. ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र गिरवर

} जातियान जाट निवासियान ग्राम बरौलीचौथ तहसील डीग जिला भरतपुर(राज0)

–वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार तहसील डीग (भरतपुर)
2. जिला कलक्टर महोदय भरतपुर

–प्रति0

दावा डिक्लेरेशन व दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय **दिनांकः 12.10.2021**

वादीगण द्वारा यह दावा डिक्लेरेशन व दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी एक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट इस आशय का पेश किया गया है कि हाल खसरा नम्बर 921/2220 रकबा 0.42 वाके ग्राम बरौलीचौथ तहसील डीग में स्थित है। राजस्व रिकार्ड में किस्म नहरी–2 दर्ज किया जा रहा है। यह कि उक्त आराजी खसरा नम्बर सैटिलमेंट से पूर्व साविक नम्बर 1066, 1087 के रूप में स्थित था जो राजस्व रिकार्ड अभिलेख में ग्राम के मार्ग व पगडण्डी के रूप में दर्ज था। वादीगण व अन्य ग्रामवासियान द्वारा आज भी उक्त आराजी को अपने खेत पर व मकानों पर आने जाने के रास्ता के रूप में उपयोग व उपभोग में लिया जा रहा है। मौके पर आज भी रास्ता कायम है। कोई भी नहर इस खसरा नम्बर में स्थित नहीं है। परन्तु सैटिलमेंट विभाग द्वारा विना किसी अधिकार के किस्म नहरी दर्ज कर दिया गया है जोकि गलत है। अतः प्रार्थना है कि आ.ख.नम्बर 921/2220 रकबा 0.42 वाके ग्राम बरौलीचौथ तहसील डीग में राजस्व रिकार्ड में गत खसरा नम्बर 1066, 1087 के अनुसार मार्ग व पगडण्डी दर्ज किये जाने व हाल में हो रहे गलत इन्द्राज को कलमजन किया जावे।

दावा डिक्लेरेशन व दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी. एक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित प्रति0 को जरिये नोटिस तलब कर तहसीलदार/पैरोकार सरकार की रिपोर्ट प्राप्त की गई।

उक्त प्रकरण दिनांक 12.10.2021 को प्रशासन गॉव के संग अभियान–2021 कैम्प बरौलीचौथ में पेश हुआ।

प्रकरण के सम्बन्ध में प्रति0/तहसीलदार डीग की रिपोर्ट तलब की गई। रिपोर्ट में अंकित है कि " आ.ख.नम्बर 921/2220 रकबा 0.42 हैक्टे0 किस्म नहरी–2 का मौका देखा गया। मौके पर उक्त खसरा नम्बर रास्ते के काम में आ रहा है तथा ग्राम बरौलीचौथ के हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2022.02.01 16:31:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत 2076–79 के खाता संख्या–1 में दर्ज रिकार्ड है, उक्त भूमि नहर के काम में नहीं आ रही है।"

उक्तानुसार सम्बन्धित वादीगण के वाद पत्र में वर्णित तथ्यों व तहसीलदार/पटवारी/गिरदावर की रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार/पैरोकार सरकार ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि आ.ख. नम्बर 921/2220 रकबा 0.42 हैक्टे0 किस्म नहरी–2, जोकि मौके पर उक्त खसरा नम्बर रास्ते के काम में आ रहा है तथा ग्राम बरौलीचौथ के हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत 2076–79 के खाता संख्या–1 में दर्ज रिकार्ड है, उक्त भूमि नहर के काम में नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में **हम** वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा डिक्लेरेशन व दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी एक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट को स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में किस्म नहरी–2 के स्थान पर रास्ता दर्ज किये जाने की दुरूस्ती किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि:–

दावा डिक्लेरेशन व दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी एक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट **स्वीकार किया जाता है।** आ.ख.नम्बर 921/2220 रकबा 0.42 हैक्टे0 किस्म नहरी–2, जोकि मौके पर उक्त खसरा नम्बर रास्ते के काम में आ रहा है तथा ग्राम बरौलीचौथ के हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत 2076–79 के खाता संख्या–1 में दर्ज रिकार्ड है, में किस्म नहरी–2 के स्थान पर किस्म रास्ता किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग(भरतपुर)

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा प्रशासन गॉव के संग अभियान–2021, कैम्प बरौलीचौथ में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
डीग(भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2022.02.01 16:31:48 IST
Reason: SelfAttested